न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 95/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. चूनाराम पुत्र जोगाराम भील 2. मांगीलाल पुत्र दुदाराम भील निवासी–भलरों का बाड़ा, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।		1. मंगलाराम पुत्र उकड़राम मेघवाल निवासी–भलरों का बाड़ा, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, सिवाना जिला– बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 322/2018 अनवान मंगलाराम बनाम चूनाराम वगैराह में दिनांक 30.05.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24 फरवरी, 2025

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत ग्राम भलरों का बाडा में ख0सं0 251 रकबा 19.18 भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के पडौस में चूनाराम पुत्र जोगाराम के खेत आये हुए है। वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाकर नेखमबन्दी करवाना चाहता है। अतः रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 30.05.2018 को

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 30.07.2019 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागतण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील पेश करने बाबत अनुमति प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2019 के अनुसार यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी संख्या 2 को पक्षकार ही नहीं बनाया, जबकि रेस्पो0 संख्या एक अपनी भूमि से लगती हुई अपीलार्थी की भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः अपीलार्थी व्यथित पक्षकार होने से उसे अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2019 के अनुसार यह कथन किया कि दिनांक 5.7.2019 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने अकस्मात आकर मौके पर नाप करना शुरू कर दिया तथा अपीलार्थी की भूमि के अन्दर पत्थर डालने की कोशिश की तब अपीलार्थी ने मना किया तो बताया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से ऐसा फैसला हुआ है। तब अपीलान्ट दिनांक 8.7.2019 को सिवाना गया तथा दिनांक 22.7.2019 को नकले प्राप्त की। इस प्रकार प्रकरण की जानकारी होने पर प्रथम जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट के उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रो को स्वीकार नहीं किये जाने का निवेदन किया तथा विरोध प्रकट किया गया।

अपीलान्टस के द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र एवं धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये तथ्यों के आधार पर न्याय हित में अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम पर मनमाना निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ख0सं0 251 के पडौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि उनकी भूमि ख0सं0 251 की सीमा बाबत पडौसी खातेदारो के साथ विवाद है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट संख्या एक की ख0सं0 559/250 व ख0सं0 583/250 की भूमि रेस्पो0 संख्या एक के ख0सं0 251 की भूमि के लगते हुए स्थित है जबकि ख0सं0 559/250 के खातेदार को ही पक्षकार बनाया गया था और उसे भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैमाइश रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई, बिना पैमाइश रिपोर्ट के पत्थरगढी हेतु पेश प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। रेस्पो0 संख्या एक ने ख0सं0 251 में से कुछ भूमि का हस्तान्तरण अन्य लोगों को कर दिया, जिनके पास अधिक भूमि है। अब रेस्पो0 संख्या एक उक्त पत्थरगढी की आड़ में अपीलार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अपीलार्थी की भूमि पुश्तैनी है जबकि रेस्पो0 संख्या एक केवल एक आवंटी है तथा उसकी भूमि सडक के दूसरी तरफ आई हुई है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में जल्दबाजी करते हुए आदेश पारित किया है क्योंकि विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई के पत्रावली को कैम्प में ले जाकर मुकदमों का निस्तारण बताने के उद्देश्य से निर्णय किया गया है, जबकि ऐसी पत्रावलियों का निर्णय विधिवत पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है। अतः अपीलान्टस की ओर से पेश अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए अपने खेत ख0सं0 251 रकबा 19.18 भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया था कि उक्त भूमि के पडौस में अपीलान्ट चूनाराम पुत्र जोगाराम का खेत आया हुआ है। वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण रेस्पो0 संख्या एक /प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु सीमाओं की पैमाइश करवाकर पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। दिनांक 21.12.2017 को उक्त खेत की भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी व विप्रार्थी के रूबरू करवाया गया जिसमें रेस्पो0 संख्या एक के ख0सं0 251 की भूमि पर ख0सं0 559/250 के खातेदारों द्वारा अवैध कब्जा करना दर्शाया गया, तत्पश्चात रेस्पो0 संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया था।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अपने खसरे की भूमि के पडौसी खेत के खातेदार को पक्षकार बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तब अपीलान्ट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में अपना जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 30.05.2018 को आदेश पारित करते हुए ख0सं0 251 रकबा 19.18 बीघा भूमि की पैमाइश व नेखमबन्दी दोनों पक्षों को सूचित कर दोनों पक्षों के रूबरू करने के निर्देश तहसीलदार समदडी को दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है, जो यथावत रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदार यानि अपीलान्ट संख्या एक को प्रभावित पक्षकार होने के आधार पर पक्षकार बनाया गया और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। अपीलान्ट संख्या 02 प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या दो की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के अनूकूल होने से यथावत रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड इत्यादि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया है कि रेस्पो0 सं0 एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 प्रस्तुत कर ख0सं0 251 रकबा 19.18 भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि वादग्रस्त भूमि ख0सं0 251 के सभी पडौसी खातेदारों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि ख0सं0 559/250 व ख0 सं0 583/250 रेस्पो0 संख्या एक के ख0सं0 251

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के लगते हुए स्थित है। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट संख्या 01 एवं 02 की भूमि रेस्पो0 संख्या एक के खसरा भूमि के पडौस में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 16.05.2018 में अपीलान्ट संख्या 02 को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जाना तथा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या एक के उल्लेखित संख्या 251 की भूमि के बाबत प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 24 फरवरी, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर